संशोधित पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार बासेल–II (पिलर 3) के अंतर्गत प्रकटन

1. प्रयोज्यता का विषय क्षेत्र

1.1 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी कोई अनुषंगी संस्था नहीं है।

1.2 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए मार्च 2007 में केनरा बैंक और एचएसबीएस इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लि० के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त उपक्रम कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार में केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि० के नाम से सितम्बर 2007 में पंजीकृत करवाया गया। कंपनी ने जून 2008 में कार्य आरंभ कर दिया है।

इस कम्पनी की शेयरधारिता निम्नानुसार है :

- केनरा बैंक – 51%
- एचएसबीसी– 26%
- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 23%

उपर्युक्त में ओबीसी के निवेश के लेखांकन एवम् विनियामक प्रयोजन हेतु जोखिम भारित किया गया है।

1.2.1 पूंजीकरण विवरण:

इस कंपनी की कुल प्राधिकृत पूंजी 750 करोड़ रु. है जिसमें से प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रु. (प्रति 10/–रु. के 50.00 करोड़ शेयर) और एचएसबीएस इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लि० द्वारा प्रदत्त प्रीमियम की राशि 125.00 करोड़ रु० है। कम्पनी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 641.00 करोड़ रु. की कुल प्रीमियम राशि जुटाई, जिसमें से ओरियन्टल बैंक ने 121.60 करोड़ रु. का प्रीमियम जुटाया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा कारोबार से ओरियन्टल बैंक को कुल 37.10 करोड़ रु. की आय हुई।

2. पूंजी संरचना

2.1 पूंजी लिखतों की मुख्य शर्तों एवं नियमों/विशेषताओं संबंधी संक्षिप्त जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में पूंजी निधियों को टियर I और टियर II पूंजी में वर्गीकृत किया गया है। टियर I पूंजी में प्रदत्त ईक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि, अन्य प्रकटित मुक्त आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि और टियर I पूंजी में शामिल होने के पात्र नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत (टियर I बांड) शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षा का पालन करते हैं। टियर II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, निधि, सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि, टियर II पूंजी में, शामिल होने के पात्र उच्च टियर II लिखत (उच्च टियर II बांड) और गौण ऋण लिखत (निम्न टियर II बांड) शामिल हैं। बैंक ने ऋण लिखत जारी किए हैं जो टियर I और टियर II पूंजी का भाग हैं। इन लिखतों के लिए लागू नियम एवं शर्तें निर्धारित नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में है।

टियर I बांड गैर–संचयी और बेमीयादी हैं और इनमें 10 वर्षों के बाद कॉल आप्शन है (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से)। टियर I बांड में 10 वर्षों के बाद ब्याज भुगतान पर 100 बेसिस प्वाइंट तक वृद्धि खंड भी हो सकता है। उच्च टियर II बांड संचयी हैं और इनकी 15 वर्षों की मूल न्यूनतम परिपक्वता अवधि है तथा इन्हें 10 वर्षों के बाद काल आप्शन (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से) के

Disclosure under Basel II (Pillar 3) in terms of Revised Capital Adequacy Framework

1. SCOPE OF APPLICATION

1.1. Oriental Bank of Commerce is a Public Sector Bank having no subsidiary.

1.2. Oriental Bank of Commerce signed a Memorandum of Understanding with Canara Bank and HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Ltd. in March 2007 for setting up Joint Venture in Life Insurance. The Joint Venture Company got registered with Registrar of Companies as Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd in September 2007. The Company has started its operation in June 2008.

The shareholding pattern of the Company is as given below.

- Canara Bank -51%
- HSBC - 26%
- OBC - 23%

OBC's investment in the above is risk weighted for accounting and regulatory purpose.

1.2.1. Capitalization Details:

Total Authorized Capital of the company is Rs. 750 Crore out of which paid up capital is Rs.500 Crore (50.00 Crore shares of Rs.10 each) and Rs.125.00 Crore is the amount of premium paid by HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd. The Company has collected total premium of Rs 641.00 Crore during the end of financial year 31st March 2010, out of which Oriental Bank has collected as premium Rs 121.60 Crore. Gross Income of Oriental Bank from the Insurance Operation during Financial Year 2009-10 is Rs 37.10 Crore.

2. CAPITAL STRUCTURE

2.1. Summary information on main terms and conditions / features of capital instruments

RBI's capital adequacy norms classify capital funds into Tier-1 and Tier-2 capital. Tier-1 capital includes paid-up equity capital, statutory reserves, other disclosed free reserves, capital reserves and innovative perpetual debt instruments (Tier-1 bonds) eligible for inclusion in Tier-1 capital that comply with requirement specified by RBI. Elements of Tier-2 capital include revaluation reserve, general provision and loss reserve, upper Tier-2 instruments (upper Tier-2 bonds) and subordinate debt instruments (lower Tier-2 bonds) eligible for inclusion in Tier-2 capital. Bank has issued debt instruments that form a part of Tier-1 and Tier-2 capital. The terms and conditions applicable for these instruments comply with the stipulated regulatory requirements.

Tier-1 bonds are non-cumulative and perpetual in nature with a call option (with RBI approval) after 10 years. Tier-1 bonds may also have a step-up clause on interest payment ranging up to 100 bps after 10 years. Upper Tier-2 bonds are cumulative and have an original minimum maturity of 15 years and may be issued with call option (with RBI approval) after 10 years. Upper Tier-2 debt instruments may have one

साथ जारी किया जा सकता है। उच्च टियर II ऋण लिखतों में 10 वर्षों के बाद 100 बेसिस प्वाइंट तक ब्याज के भुगतान पर एकबारगी वृद्धि खंड हो सकता है। निम्न टियर II बांड संचयी हैं और इनकी 5 वर्षों की न्यूनतम मूल परिपक्वता अवधि है।

बैंक द्वारा टियर I बांड के जरिए जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल टियर I पूंजी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ उच्च टियर II लिखत किसी भी समय टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे। गौण ऋण लिखत (निम्न टियर II) बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे।

2.2 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार टियर I पूंजी

(करोड़ रु. में)

टियर I पूंजी अंश	**राशि**
प्रदत्त शेयर पूंजी/सामान्य स्टॉक	250.54
आरक्षित निधि	7069.98
नवोन्मेष टियर I पूंजी लिखत	550.00*
अन्य पूंजी लिखत	0.00
कुल टियर I पूंजी	7870.52
कटौती :	
संचित हानि	0.00
आस्थगित कर आस्तियां	24.00
निवल टियर I पूंजी	7846.52

*वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान 300 करोड़ रु. जुटाए गए।

2.3 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार टियर II पूंजी

(करोड़ रु. में)

टियर II पूंजी अंश	**राशि**
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान	337.80
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	412.84
उच्च टियर II बांड	1000.00
गौण बांड	1000.00
विशेष आरक्षित निधि	0.00
निवल टियर II पूंजी	**2750.64**

2.4 टियर II पूंजी में समावेश हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत

(करोड़ रु. में)

	उच्च टियर II	निम्न टियर II
कुल बकाया राशि	1000	1000
वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	-	-
पूंजी निधियां माने जाने हेतु पात्र राशि	1000	1000

पूजी से अन्य कटौती–शून्य

time step-up clause on interest payment up to 100 bps after 10 years. The lower Tier-2 bonds are cumulative and have an original minimum maturity of 5 years.

The total amount raised by the Bank through Tier I Bonds shall not exceed 15% of the total Tier I capital of the Bank as on March 31 of the previous financial year. Upper Tier II instruments along with other components of Tier II capital, shall not exceed100% of Tier I capital at any time. Subordinated debt instruments (Lower Tier II) will be limited to 50% of Tier I capital of the Bank.

2.2. Tier-1 capital as on March, 31 2010

(Rupees in crore)

Tier-1 capital elements	**Amount**
Paid-up share capital/common stock	250.54
Reserves	7069.98
Innovative Tier-1 capital instruments	550.00*
Other Capital Instruments	0.00
Gross Tier-1 capital	7870.52
Deductions:	
Accumulated Losses	0.00
Deferred tax Assets	24.00
Net Tier I Capital	**7846.52**

***Rs 300 Crore raised during Financial Year 2009-10**

2.3. Tier- II Capital as on March 31 2010

Rupees in crore

Tier- II capital elements	**Amount**
Provision for Standard Assets	337.80
Revaluation Reserves	412.84
Upper Tier II Bonds	1000.00
Subordinate Bonds	1000.00
Special reserve	0.00
Net Tier II Capital	**2750.64**

2.4. Debt capital instruments eligible for inclusion in Tier-II capital

Rupees in crore

	Upper tier II	Lower Tier II
Total Amt. Outstanding	1000	1000
Amt. Raised during current financial year	-	-
Amount eligible to be considered as capital funds	1000	1000

Other deductions from Capital-Nil

2.5 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कुल पात्र पूंजी

(करोड़ रु. में)

	राशि
पात्र टियर I पूंजी	7846.52
पात्र टियर II पूंजी	2750.64
कुल पात्र पूंजी	10597.16

3. पूंजी पर्याप्तता

3.1 पूंजी आकलन

बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देश लागू होते हैं जो बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के निर्देशों पर आधारित हैं। पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्दशों के अनुसार बैंक को निरंतर आधार पर कुल पूंजी में जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) का न्यूनतम 9.0% अनुपात रखना अपेक्षित है।

बैंक ने मण्डल द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन पद्धति (आइसीएएपी) बनाई है। बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन और समीक्षा आवधिक अंतरालों पर की जाती है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नए पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे–बासेल–II को लागू करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया है:

- ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

विभिन्न जोखिम क्षेत्रों के लिए पूंजी आवश्यकता (31 मार्च, 2010)

(करोड़ रु. में)

जोखिम क्षेत्र	राशि
ऋण जोखिम	
अपेक्षित पूंजी	6813.78
● मानक दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो	6813.78
● प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य
मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम	
अपेक्षित पूंजी	354.41
ब्याज दर जोखिम हेतु	200.88
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु (स्वर्ण सहित)	4.50
ईक्विटी क्रय–विक्रय स्थिति जोखिम हेतु	149.03
मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम	
अपेक्षित पूंजी	439.71
9% पर कुल पूंजी अपेक्षा	**7607.90**

2.5. Total eligible capital as on 31.03.2010

(Rupees in crore)

	Amount
Eligible Tier-1 capital	7846.52
Eligible Tier-2 capital	2750.64
Total eligible capital	10597.16

3. CAPITAL ADEQUACY

3.1. Capital assessment

The Bank is subjected to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI, which are based on the framework of the Basel Committee on Banking Supervision. As per the capital adequacy guidelines, the Bank is required to maintain a minimum ratio of total capital to risk weighted assets (CRAR) of 9.0% on an ongoing basis.

The bank has evolved well laid down Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework. Assessment and review of Bank's capital requirements are carried out at periodical intervals.

In line with RBI guidelines Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for Credit Risk
- Standardised Duration Approach for Market Risk
- Basic Indicator Approach for Operational Risk

Capital requirements for various risk areas (March 31, 2010)

(Rupees in Crore)

Risk area	**Amount**
Credit risk	
Capital required	6813.78
• Portfolio subject to standardized approach	6813.78
• Securitisation exposure	Nil
Market risk under Standardised Duration Approach	
Capital required	354.41
For interest rate risk	200.88
For foreign exchange (including gold) risk	4.50
For equity position risk	149.03
Operational risk under Basic indicator Approach	
Capital required	439.71
Total capital requirement at 9%	**7607.90**

बैंक की कुल पूंजी निधियां	10597.16
कुल जोखिम भारित आस्तियां	84532.35
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.54%

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात

पूंजी अनुपात	
टियर I पूंजी अनुपात	9.28%
टियर II पूंजी अनुपात	3.26%
कुल पूंजी अनुपात	12.54%

4. ऋण जोखिम

4.1 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति द्वारा किया जाता है। बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति बनाई है। बैंक को अपने ऋण परिचालनों में ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऋण जोखिम, बैंक के साथ किसी वित्तीय संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करने में किसी भी प्रतिपक्ष के असफल होने पर होने वाली हानि का जोखिम है जो कि मुख्यतः अपेक्षित भुगतान न करने के कारण होता है। इसका मुख्य प्रयोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति है :

- भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मार्गनिर्देशों/नीतियों का पालन
- कारपोरेट, सरकारी, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, कृषि और रिटेल ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनना
- सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल एवं दक्षता पूर्वक करके उनसे सौहार्द पूर्ण व्यवसायिक संबंध बनाए रखना
- जोखिम आधारित ऋण प्रदान करके और ऋण पोर्टफोलियो को सक्रिय बनाते हुए विविधीकृत गुणवत्ता परक आस्ति पोर्टफोलियो बनाना
- उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ इष्टतम जोखिम वापसी प्रोफाइल बनाना

इस नीति में कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, ग्रामीण/कृषि और निवेश संबंधी ऋणों को शामिल किया गया है। इसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ एक संरचित और मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्तीय प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं और संबंधित उद्योग से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करता है। बैंक निम्नानुसार विचार करके उधारकर्ता के जोखिम का मूल्यांकन करता है :

- उधारकर्ता की वित्तीय विवरणियों, पिछले वित्तीय कार्यनिष्पादन, पूंजी जुटाने के लिए इसकी वित्तीय क्षमता और इसकी नकद प्रवाह पर्याप्तता का आकलन करते हुए उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन
- उधारकर्ता की सापेक्ष बाजार स्थिति और परिचालन दक्षता
- प्रबंधन की गुणवत्ता जो उनके पिछले रिकार्ड, खाते के संचलन के विश्लेषण द्वारा आंकी जाती है।

Total capital funds of the Bank	**10597.16**
Total risk weighted assets	**84532.35**
Capital adequacy ratio	**12.54%**

Capital adequacy ratio as on 31.03.2010

Capital Ratios	
Tier –I Capital ratio	9.28%
Tier –II Capital ratio	3.26%
Total Capital ratio	12.54%

4. CREDIT RISK

4.1. Credit risk management policy and processes

Management of credit risk in the Bank is governed by a Board-approved Credit Risk Management Policy and Recovery Policy. The Credit Risk Management Policy and Recovery Policy of the Bank have been prepared The Bank is exposed to credit risk in its lending operations. Credit risk is the risk of loss that may occur from the failure of any counterparty to abide by the terms and conditions of any financial contract with the Bank, principally the failure to make required payments. The broad objectives are to meet the following goals:

- Adhere to the guidelines / policies enunciated by RBI and other regulatory authorities.
- Be the preferred bank for corporate, government, small and medium enterprises, rural/micro banking, agriculture and retail customers.
- Maintain cordial business relationship with all customers by servicing their needs promptly and efficiently.
- Build a diversified good quality asset portfolio through risk based lending and active churning of the portfolio.
- Optimise risk return profile with adequate exit options.

The policy covers corporate, small and medium enterprise, retail, rural/agriculture and investment related exposures. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry. The Bank evaluates borrower risk by considering:

- The financial position of the borrower by analyzing the financial statements, its past financial performance, its financial flexibility in terms of ability to raise capital and its cash flow adequacy.
- The borrower's relative market position and operating efficiency
- The quality of management by analysing their track record and conduct of account.

बैंक निम्नानुसार विचार करके उद्योग जोखिम का मूल्यांकन करता है :

- कतिपय औद्योगिक विशेषताएं जैसे अर्थव्यवस्था में उस उद्योग की महत्ता, विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण, चक्रीयता और उस उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियां
- उद्योग की प्रतिस्पर्धा भावना और
- कतिपय औद्योगिक वित्तीय आंकड़े जिनमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, परिचालन मार्जिन और आय स्थिरता शामिल हैं।

ऋण अनुमोदक प्राधिकारी

निदेशक मंडल ने मंडल की प्रबंध समिति, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों, प्रधान कार्यालय के महाप्रबन्धकों को अधिकार प्रायोजित किए हैं। प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर भी विभिन्न फील्ड पदाधिकारियों को अर्थात् प्रादेशिक अध्यक्ष, प्रादेशिक कार्यालय में द्वितीय प्रभारी और शाखा प्रभारियों को भी उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं मंजूर करने के विवेकाधिकार दिए गए हैं । अधिकारों के प्रत्यायोजन का ढांचा इस प्रकार बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च एक्स्पोज़र और जोखिम –स्तर के संव्यवहार तदनुरूपी अगले मंच/समिति को अनुमोदन हेतु भेजे जाएं।

प्रस्तावों की गुणवत्तापरक समीक्षा करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के निम्नलिखित मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाया जा सके :

1. बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग और सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्य, ऋण प्रस्ताव की प्रोसेसिंग/मूल्यांकन/मंजूरी से भिन्न है।
2. बैंक के प्रधान कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरुप ऋण अनुमोदन ग्रिड बनाए गए हैं। बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक, ऋण अनुमोदन ग्रिड के सदस्य हैं।
3. ग्रिड की बैठक की गणपूर्ति के लिए जोखिम प्रबन्धन विभाग और ऋण विभाग के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
4. ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी खातों (स्टाफ ऋण तथा बैंक की अपनी सावधि जमाराशियों के प्रति ऋण को छोड़कर), लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई), आवास ऋण सहित रिटेल ऋण के सभी खातों का मूल्यांकन हमारे जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा विकसित तथा आंतरिक रूप से अपनाए गए ऋण मूल्यांकन माडलों के आधार पर किया जाता है।
5. ऋण विभाग द्वारा ऋण प्रस्ताव, गुणवत्तापरक जांच और संस्तुति किए जाने हेतु ऋण अनुमोदन ग्रिड के समक्ष रखा जाता है और ग्रिड के सदस्यों के मतों सहित मंजूरीदाता प्राधिकारी को भेजा जाता है।

इस ढांचे का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है। ऋण पोर्टफोलियो की संरचना का विश्लेषण (मूल्यांकन वार/उद्योगवार) ऋणकर्ताओं के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन के साथ छमाही आधार पर 'जोखिम प्रबन्धन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति' के समक्ष रखा जाता है।

The Bank evaluates industry risk by considering:

- Certain industry characteristics, such as the importance of the industry to the economy, its growth outlook, cyclicality and government policies relating to the industry.
- The competitiveness of the industry and
- Certain industry financials, including return on capital employed, operating margins and earnings stability.

Credit Approval Authorities:

The Board of Directors has delegated the authority to the Management Committee of the Board, Chairman & Managing Director, Executive Directors, General Managers at Head Office. Also at Regional Office level, various Field Functionaries i.e. Regional Head, Second man at the Region and the Branch Incumbents have also been delegated discretionary powers for sanction of various types of credit facilities to various segments of borrowers. The delegation of structure has been designed to ensure that the transactions with higher exposure and level of risk are put up to the corresponding higher forum/committee for approval.

Following guidelines of Credit Risk Management Policy duly approved by the Board of Directors are being adopted for the purpose of screening of the proposals qualitatively so as to ensure healthy credit portfolio of the Bank

1. Credit Risk Management Department is set up at Head Office and Credit Risk Management Cell at all the Regional Offices of the Bank. The function of Risk Management Department is independent of processing/ appraisal/ sanction of the proposal.
2. Credit Approval Grids for different functionaries at Head Office and Regional offices of the Bank are set up in accordance with the Credit Risk management Policy of the Bank. The senior executives of the Bank are members of the Credit Approval Grid.
3. The presence of the members from Risk Management Department and Credit Department is mandatory for quorum of the meeting of the Grid.
4. Rating of all the accounts availing credit facility (except staff Loan and loan against Bank's own Fixed Deposits) , Small & Medium Enterprises (SME), Retail credit including Housing Loan is done on the basis of internally adopted credit rating models developed through our risk management consultants.
5. The Proposal is placed before the Credit Approval Grid by the credit department for qualitatively screening and recommendations along with the views of the members of the Grid to the sanctioning authority.

The objective of this framework is to ensure healthy credit portfolio of the Bank by following the set principles of Risk Management. The analysis of the composition of the credit portfolio (Rating wise/ Industry wise) is placed to the Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) on half yearly basis along with the migration of rating of borrowers.

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए समेकित स्तर पर निर्धारित एक्सपोजर संबंधी मानदंडों का पालन करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बैंक की समेकित पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन्हें नियमित आधार पर मानीटर किया जाता है। बैंक ने उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों और उधारकर्ताओं के गठन के आधार पर उनके लिए आंतरिक रूप से विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की हैं (पर्याप्त एक्सपोजर सहित)।

गैर–निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की परिभाषा और वर्गीकरण

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण (अग्रिम की प्रकृति के ऋण एवं डिबेंचर) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर–निष्पादक ऋणों में करता है।

गैर–निष्पादक आस्ति ऐसे ऋण अथवा अग्रिम के रूप में परिभाषित है जहां :

I. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है। किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि ''अतिदेय'' होगी, यदि वह राशि बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा न की गई हो।

II. ओवरड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता लगातार 90 दिनों तक ''अनियमित'' बना रहता है। खाते को ''अनियमित'' माना जाएगा यदि :

- बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहे।
- जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन–पत्र की तारीख को, लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा जमा की गई लेखांकन अवधि के दौरान राशि डेबिट किए गए ब्याज की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो।
- खाते में आहरण की अनुमति लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी स्टॉक विवरणियों के आधार पर परिकलित आहरण अधिकार के अनुसार की गई हो जो 3 माह से अधिक पुरानी हों चाहे यूनिट कार्य कर रही हो अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।
- नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि के 180 दिनों के भीतर न किया गया हो।

III. बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो।

IV. कृषि ऋण के संबंध में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्त, छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसम और लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक अतिदेय रहे।

इसके अतिरिक्त, गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अवस्तरीय, संदिग्ध और घाटे वाली आस्तियों के रूप में किया जाता है। अवस्तरीय आस्ति वह है, जो 12 माह से कम अथवा इसके बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी आस्ति रही हो। किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 12 माह के लिए अवस्तरीय श्रेणी में रही हो। घाटे वाली आस्ति वह है, जहां घाटे का पता, बैंक अथवा इसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों को अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान लगा हो परंतु राशि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं डाली गई हो।

Bank complies with the norms on exposure stipulated by RBI for both single borrower as well as borrower group at the consolidated level. Limits have been set up by the Risk Management Department as a percentage of the Bank's consolidated capital funds and are regularly monitored. The Bank has also stipulated internally various exposure limits (including substantial exposure) to industries, sensitive sectors and for the borrowers based on their constitution.

Definition and classification of non-performing assets (NPA)

The Bank classifies its advances (loans and debentures in the nature of an advance) into performing and non-performing loans (NPL) in accordance with the extant RBI guidelines.

An NPA is defined as a loan or an advance where:

I. Interest and/ or instalment of principal remains overdue for more than 90 days in respect of a term loan. Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank;

II. The account remains 'out of order' in respect of an overdraft/ cash credit (OD/CC) facility continuously for 90 days. An account is treated as 'out of order' if:

- The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power
- Where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of the balance sheet or, credits in the account are not enough to cover the interest debited during the accounting period
- Drawings have been permitted in the account for a continuous period of 90 days based on drawing power computed on the basis of stock statements that are more than three months old even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory
- The regular/ad-hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction.

III. A bill purchased/discounted by the Bank remains overdue for a period of more than 90 days.

IV. Interest and/or instalment of principal in respect of an agricultural loan remain overdue for two crop seasons for short duration crops and one crop season for long duration crops.

Further, NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A sub-standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

4.2. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर (31 मार्च, 2010)

(करोड़ रु० में)

ऋण एक्सपोजर की श्रेणी	राशि
निधि आधारित सुविधाएं	84183.94
गैर निधि आधारित सुविधाएं*	21490.92
कुल	**105674.86**

* गैर निधि आधारित सीमाओं में बैंक गारंटी और साख पत्र शामिल हैं.

4.3. ऋण जोखिम एक्सपोजर पर आधारित जोखिम भारित आस्तियां (31 मार्च, 2010)

करोड़ रु० में

ऋण एक्सपोजर की श्रेणी	जोखिम भारित आस्तियां
निधि आधारित सुविधाएं	64473.66
गैर निधि आधारित सुविधाएं	11235.06
कुल	**75708.72**

ऋण एक्सपोजर में मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं (अर्थात् निधिक सुविधाएं जैसे नकद–उधार, मांग ऋण, अस्थाई सीमाएं तथा गैर निधिक सुविधाएं जैसे साख–पत्र, सह–स्वीकृतियां, वित्तीय गारंटी, निष्पादन गारंटी आदि) के लिए वित्त शामिल हैं। उपर्युक्त में ऐसे निवेश शामिल नहीं हैं, जो बाजार जोखिम में शामिल किए गए हैं।

4.4. ऋण राशि का भौगोलिक वितरण (31 मार्च, 2010)

(करोड़ रु० में)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
देश में	84183.94	21490.92
विदेशों में	शून्य	शून्य
कुल	84183.94	21490.92

4.5. ऋण राशि का उद्योगवार संवितरण (31 मार्च, 2010)

31.03.2010 की स्थिति			(करोड़ रु. में)
क्र.सं.	निधि	गैर निधि आधारित	आधारित
1	खनन तथा उत्खनन (कोयला सहित)	50.52	2.52
3	लौह और इस्पात	4768.98	1876.24
4	अन्य धातु और धातु उत्पाद	709.61	226.02
5	सभी इंजीनियरिंग	1550.79	891.23
5.1	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	348.65	141.45
5.2	अन्य	1202.14	749.78
6	विद्युत	46.14	0.00

4.2 Total Gross Credit Risk Exposure (March 31, 2010)

(Rupees in crore)

Category Credit exposure	Amount
Fund-based facilities	84183.94
Non-fund based facilities*	21490.92
Total	**105674.86**

*Non Fund based facility includes Bank Guarantee (BG) and Letter of Credit (LC).

4.3 Risk Weighted Assets based on credit risk exposure (March 31, 2010)

Rupees in crore

Category Credit exposure	Risk Weighted Assets
Fund-based facilities	64473.66
Non-fund based facilities	11235.06
Total	**75708.72**

Credit exposure includes exposure towards term loans; working capital facilities (i.e. funded facilities like cash credit, demand loan, temporary limits and non-funded facilities like letter of credit, co-acceptances, financial guarantee, performance guarantee and investment in Banking Book etc.). The above excludes investments, which are covered under Market Risk.

4.4 Geographic distribution of credit exposures (March 31, 2010)

(Rupees in crore)

	Fund-based	Non-fund based
Domestic	84183.94	21490.92
Overseas	Nil	Nil
Total	84183.94	21490.92

4.5 Industry-wise distribution of exposures (Mar 31st 2010)

As on 31-03-2010			(Rs. in Crore)
S.No.		Fund based	Non-fund based
1	Mining and quarrying (including coal)	50.52	2.52
3	Iron & Steel	4768.98	1876.24
4	Other metl and metal Products	709.61	226.02
5	All Engineering	1550.79	891.23
5.1	Of which electronics	348.65	141.45
5.2	Others	1202.14	749.78
6	Electricity	46.14	0.00

7	सूती वस्त्र	2297.10	102.09
8	जूट वस्त्र	32.52	1.41
9	अन्य वस्त्र	1711.73	182.77
10	चीनी	703.34	170.30
11	चाय	3.40	0.14
12	खाद्य संसाधन	1794.56	389.27
13	खाद्य तेल और वनस्पति	160.94	100.72
14	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	301.65	27.62
15	कागज और कागज उत्पाद	959.21	130.68
16	रबड़ और रबड़ उत्पाद	579.95	101.15
17	रसायन, रंजक, और पेन्ट आदि	757.27	281.38
17.1	जिसमें से उर्वरक	26.94	2.86
17.2	जिसमें से पेट्रो रसायन	26.10	25.79
17.3	जिसमें से औषधि व भेषज	402.91	44.58
17.4	अन्य	301.32	208.15
18	सीमेन्ट	914.49	247.66
19	चमड़ा और चमड़ा उद्योग	86.29	1.04
20	रत्न और आभूषण	418.08	2063.48
21	निर्माण	255.40	315.68
22	पेट्रोलियम	1007.54	305.57
23	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	691.31	52.18
24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	46.30	0.00
25	बुनियादी संरचना	17681.36	1481.63
25.1	जिसमें से ऊर्जा	9286.10	263.97
25.2	जिसमें से दूरसंचार	2230.73	280.66
25.3	जिसमें से सड़क एवं परिवहन	2037.33	774.00
25.4	अन्य	4127.20	163.00
26	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	4444.71	0.00
27	ट्रेडिंग	2849.15	0.00
28	अन्य उद्योग	2072.55	733.98
29	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	37289.05	11806.15
	कुल जोड़	**84183.94**	**21490.92**

4.6. आस्तियों की अवशिष्ट संविदापरक परिपक्वता संबंधी विवरण

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का परिपक्वता ढांचा नीचे सारणी में दिया गया है

7	Cotton Textile	2297.10	102.09
8	Jute Textile	32.52	1.41
9	other Textile	1711.73	182.77
10	sugar	703.34	170.30
11	Tea	3.40	0.14
12	food Processing	1794.56	389.27
13	Vegetables oil and Vanaspati	160.94	100.72
14	Tobacco and Tobacco products	301.65	27.62
15	Paper and paper products	959.21	130.68
16	Rubber and rubber products	579.95	101.15
17	Chemicals, Dyes, paints etc	757.27	281.38
17.1	Of which Fertilizers	26.94	2.86
17.2	of which Petro chemicals	26.10	25.79
17.3	Of which Drugs and pharmaceuticals	402.91	44.58
17.4	Others	301.32	208.15
18	Cement	914.49	247.66
19	Lathear and Leather Products	86.29	1.04
20	Gems and jewellery	418.08	2063.48
21	Constructions	255.40	315.68
22	Petroleum	1007.54	305.57
23	Automobiles including Trucks	691.31	52.18
24	computer Software	46.30	0.00
25	Infrastructure	17681.36	1481.63
25.1	Of which Power	9286.10	263.97
25.2	Of which Telecommunication	2230.73	280.66
25.3	Of whilch Roads and transportation	2037.33	774.00
25.4	Others	4127.20	163.00
26	NBFCs	4444.71	0.00
27	Trading	2849.15	0.00
28	Other Industries	2072.55	733.98
29	Residuary other Advances	37289.05	11806.15
	Grand Total	**84183.94**	**21490.92**

4.6 Residual contractual maturity break-down of assets

The maturity pattern of assets as on 31st March 2010 is detailed in the table below.

करोड़ रु० में

परिपक्वता बकेट	कुल अग्रिम	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियां
अगले दिन	**5103.60**	**0.00**	**1458.29**
2–7 दिन	**1112.32**	**0.00**	**28.12**
8–14 दिन	**1376.85**	**0.00**	**3.17**
15–28 दिन	**3776.60**	**143.70**	**134.16**
29 दिन–3 माह	**7650.10**	**217.06**	**439.14**
> 3 माह–6 माह	**8643.04**	**525.86**	**345.66**
> 6 माह–1 वर्ष	**10443.38**	**576.74**	**43.85**
> 1 वर्ष–3 वर्ष	**17499.46**	**3469.97**	**1.87**
> 3 वर्ष–5 वर्ष	**11321.18**	**3831.92**	**0.00**
> 5 वर्ष	**17257.41**	**27020.08**	**207.90**
कुल	**84183.94**	**35785.33**	**2662.16**

Rupees in crore

Maturity Buckets	Gross Advances	Investments (Grosss)	Foreign currency assets
Next day	**5103.60**	**0.00**	**1458.29**
2 – 7 days	**1112.32**	**0.00**	**28.12**
8 -14 days	**1376.85**	**0.00**	**3.17**
15-28 days	**3776.60**	**143.70**	**134.16**
29 days-3 months	**7650.10**	**217.06**	**439.14**
>3 months – 6months	**8643.04**	**525.86**	**345.66**
>6months-1 Yr	**10443.38**	**576.74**	**43.85**
>1 Yr-3Yrs	**17499.46**	**3469.97**	**1.87**
>3Yr-5Yrs	**11321.18**	**3831.92**	**0.00**
>5Yrs	**17257.41**	**27020.08**	**207.90**
Total	**84183.94**	**35785.33**	**2662.16**

4.7. गैर निष्पादनकारी ऋणों (एनपीए) की राशि (31 मार्च, 2010)

करोड़ रु० में

एनपीए का वर्गीकरण	कुल एनपीए	निवल एनपीए
अवस्तरीय	679.28	609.53
संदिग्ध	731.79	186.29
संदिग्ध –1	293.75	104.60
संदिग्ध –2	292.83	81.69
संदिग्ध –3	145.21	0.00
हानि	57.68	0.00
कुल	1468.75	723.82*
एनपीए अनुपात	1.74%	0.87%

* 72 करोड़ रु० के अस्थायी प्रावधान की कटौती के बाद।

1. कुल गैर निष्पादनकारी आस्ति अनुपात की गणना, कुल अग्रिमों में कुल गैर निष्पादनकारी अस्तियों के अनुपात के रूप में की गई है।
2. निवल गैर निष्पादनकारी अस्ति अनुपात की गणना, निवल अग्रिमों में निवल गैर निष्पादनकारी आस्तियों के अनुपात के रूप में की गई है।

4.7 Amount of non-performing Assets (NPAs as on Mar 31, 2010)

Rupees in crore

NPA Classification	Gross NPA	Net NPA
Sub- standard	679.28	609.53
Doubtful	731.79	186.29
Doubtful-1	293.75	104.60
Doubtful-2	292.83	81.69
Doubtful-3	145.21	0.00
Loss	57.68	0.00
Total	1468.75	723.82*
NPA ratios	1.74%	0.87%

* After deduction of floating provisions of Rs 72 crore

1. Gross NPA ratio is computed as a ratio of Gross NPAs to Gross Advances.
2. Net NPA ratio is computed as a ratio of Net NPAs to Net Advances.

4.8. एनपीए में उतार–चढ़ाव

	कुल	निवल
01.04.2009 को अथ शेष	1058.12	442.43
वर्ष के दौरान वृद्धि	1133.10	1133.10
वर्ष के दौरान कमी	722.47	851.71
31.03.2010 को इति शेष	1468.75	723.82

4.8 Movement of NPA

	Gross	Net
Opening Balance as on 01.04.2009	1058.12	442.43
Addition during the year	1133.10	1133.10
Deduction during the year	722.47	851.71
Closing balance as on 31.03.2010	1468.75	723.82

4.9. एनपीए हेतु प्रावधानों में उतार–चढ़ाव

	राशि
01.04.2009 को अथ शेष	594.65
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	133.90
वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	0.00
अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	0.00
31.03.2010 को इति शेष	728.55

4.10. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों में गैर–निष्पादनकारी निवेशों (एनपीआई) की राशि

	राशि
31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कुल गैर निष्पादनकारी निवेश	88.93
कुल धारित प्रावधान	88.93
निवल गैर निष्पादनकारी निवेश	शून्य

4,11, निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान में उतार–चढ़ाव

	राशि
01.04.2009 को अथ शेष	169.44
किए गए प्रावधान	93.34
अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकित करना	216.63
31.03.2010 को इति शेष	46.15

5. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग

5.1. बाह्य मूल्यांकन

बासेल– II मार्गनिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे विनिर्दिष्ट बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों (ईसीएआई) अर्थात् घरेलू प्रतिपक्षों हेतु क्रिसिल, केयर, आईसीआरए तथा फिच (भारत) तथा विदेशी प्रतिपक्षों के लिए स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज एण्ड फिच द्वारा दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों के उपयोग हेतु बैंकों की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। यह मूल्यांकन निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों प्रकार के एक्सपोज़र के लिए किया जाता है।

उपरोक्त सभी प्रकार की चयनित मूल्यांकन एजेन्सियों के मूल्यांकनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्सपोज़र हेतु निम्नानुसार किया जाता है :

(I) एक वर्ष से कम या उसके बराबर संविदागत परिपक्वता वाले एक्सपोज़र हेतु (नकद–उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साख), बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा किया गया अल्पावधि मूल्यांकन लागू होगा।

(II) घरेलू नकद–उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साखों (अवधि कुछ भी हो) और/या एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण हेतु दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा।

4.9 Movement of provisions for NPA

	Amount
Opening Balance as on 01.04.2009	594.65
Provision made during the year	133.90
Write-Off during the year	0.00
Write back of excess provision	0.00
Closing balance as on 31.03.2010	728.55

4.10 Amount of non-performing investments (NPI) in securities, other than Government and other approved securities

	Amount
Gross NPI as on 31.03.2010	88.93
Total provision held	88.93
Net NPI	Nil

4.11 Movement of provision for depreciation on investment

	Amount
Opening balance as on 01.04.2009	169.44
Provision made	93.34
Write Off/ Write back of excess provision	216.63
Closing balance as on 31.03.2010	46.15

5. CREDIT RISK: PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

5.1 External ratings

The Basel II guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Assessment Agencies (ECAIs) namely CRISIL, CARE, ICRA & Fitch (India) for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties. There is no change in banks policy for utilisation of RBI approved ECAIs. The rating is used for both fund based and Non-fund based exposure.

All the above identified Rating Agencies' ratings are used for various types of exposures as follows:

(i) For Exposure with a contract maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits) , Short -Term Rating given by ECAIs will be applicable.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdrafts and other Revolving Credits (irrespective of the period) and (or Term Loan exposures of over one year, Long Term Rating will be applicable.

(III) विदेशों में एक्सपोज़र हेतु, संविदागत परिपक्वता कुछ भी हो, अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा किया गया दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा।

(IV) एक कारपोरेट समूह के भीतर किसी संस्था विशेष को दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता।

बैंक के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने वाली विशेषीकृत एजेन्सी की सहायता से बैंक अपने ग्राहकों का मूल्यांकन करने हेतु आंतरिक मूल्यांकन तंत्र का भी प्रयोग करता है ताकि मॉडल का बाजार के प्रतिभागियों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, बैंक नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिम भार की गणना करने के लिए बाह्य मूल्यांकनों का प्रयोग करता है।

5.2. जोखिम भार द्वारा ऋण वित्त

नीचे दी गई सारणी में तीन प्रमुख जोखिम बकेटों में ऋण वित्त हेतु (निवेश व गैर–निधि बकाया राशि सहित) बैंक की कुल सकल बकाया राशि दी गई है :

करोड़ रु० में

एक्सपोज़र श्रेणी	बकाया राशि	जोखिम भारित आस्तियां
100% से कम जोखिम भार	120646.34	21776.99
100% जोखिम भार	61484.95	38388.41
100% से अधिक जोखिम भार	13809.10	15543.32
कटौती की गई	0.00	0.00

- इसमें ऋण वित्त शामिल हैं और निवेश व डेरिवेटिव वित्त शामिल नहीं है, जो बाजार जोखिम में शामिल किए गए हैं।

6. ऋण जोखिम कम करना

नीतियां एवम् पद्धतियां, जिनसे पता चलता है कि बैंक तुलन पत्र की मदों तथा तुलन पत्र से इतर मदों के समायोजन (नेटिंग) का उपयोग किस सीमा तक करे :

बैंक तुलन पत्र की मदों का समायोजन ,उसी ऋणी के लिए ऋण जोखिम को कम करने की तकनीक के रूप में करता है, चूंकि बैंक के पास समंजन का अधिकार होता है। वह इसके लिए बैंक सम्पार्श्विक (बैंक जमाराशियों) पर सामान्य ग्रहणाधिकार रखता है और ऋणी से समंजन के अधिकार का प्रयोग करने हेतु वचन–पत्र लेता है जो बैंक के लिए कानूनी रूप से प्रवृत्त किए जाने वाला दस्तावेज है।

ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्वीकृत प्रबंधन नीति

बैंक में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसमें सम्पार्श्विक का चयन, सम्पार्श्विक के जोखिम, सम्पार्श्विक का मूल्यांकन व निरीक्षण, पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक, गारंटी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मार्जिन दिए गए हैं।

बैंक द्वारा सम्पार्श्विक की परिभाषा ऋण सुविधा की प्रतिभूति के लिए ऋणी अथवा अन्य पक्ष द्वारा बैंक को दी गई आस्तियों या अधिकारों के रूप में दी गई है। ऋणी/बाध्यताधारी के दायित्वों हेतु प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों/संविदाओं के संबंध में बैंक को प्रतिभूत लेनदार के अधिकार होंगे।

(iii) For Overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Rating given by International Rating Agencies will be applicable.

(iv) Rating assigned to one particular entity within a corporate group cannot be used to risk weight other entities within the same group.

The Bank also uses an internal rating mechanism for rating its clients with the assistance of specialised agency acting as Bank's consultants to ensure that the model is in line with market participants. However, the Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework.

5.2 Credit exposures by risk weights

The table below discloses the amount of the Bank's Total Gross outstanding for credit exposures (including Investments and Non Fund outstanding also) in three major risk buckets

Rupees in Crore

Exposure Category	Amount outstanding	Risk Weighted Assets
Less than 100% risk weight	120646.34	21776.99
100% risk weight	61484.95	38388.41
More than 100% risk weight	13809.10	15543.32
Deducted	0.00	0.00

- Includes credit exposures and excludes investment & derivative exposures covered in market risk.

6 CREDIT RISK MITIGATION

Policies and Processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off- balance sheet netting:

Bank uses the on-balance sheet netting as the Credit Risk Mitigation (CRM) technique of the same borrower as the right of set off is with the Bank. For that bank creates the general lien on the collateral (Bank Deposits) and takes the undertaking from the borrower to use the right of set off, which is legally enforceable document for the Bank.

Credit risk mitigation and collateralised management policy

Bank has Board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

The Bank defines collateral as the assets or rights provided to the Bank by the borrower or a third party in order to secure a credit facility. The Bank would have the rights of secured creditor in respect of the assets/ contracts offered as security for the obligations of the borrower/ obligor.

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यांकन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बासेल–II मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा कम किए गए जोखिम की सीमा तक प्रतिपक्ष को दी जाने वाली ऋण राशि कम कर देता है। बासेल–II मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में भविष्य में संभावित उतार–चढ़ाव को समायोजित करने के लिए प्राप्त हुई किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार करता है। ये समायोजन, जिन्हें ''मार्जिन'' भी कहा गया है, संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु अस्थिरता–समायोजित राशि निकालने के लिए, लागू जोखिम भारों पर आधारित पूंजी प्रभार की गणना करते समय एक्सपोज़र में से घटा दिए जाते हैं।

रिटेल उत्पादों हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति, संबंधित उत्पादों की उत्पाद नीति में परिभाषित की गई है। आवास ऋणों और अन्य रिटेल ऋणों के लिए वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति/आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा करवाया जाता है। बैंक ऐसे उत्पाद भी प्रस्तुत करता है जो प्रमुखतया संपार्श्विक प्रतिभूति पर आधारित होते हैं, जैसे शेयर, विनिर्दिष्ट सिक्योरिटीज़, भंडारित जिंस और स्वर्ण आभूषण। ये उत्पाद अनुमोदित उत्पाद टिप्पणियों के अनुरूप प्रस्तावित किए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मूल्यांकन और मार्जिन आदि से संबंधित हैं।

बैंक उच्च श्रेणी के ग्राहकों और कुछेक उत्पादों जैसे डेरिवेटिव, व्यक्तिगत ऋणों आदि के लिए बेजमानती सुविधाएं भी प्रदान करता है। बेजमानती सुविधाओं के संबंध में ऋण सीमाओं का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया।

प्रत्येक संव्यवहार के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार और मात्रा के संबंध में निर्णय, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण अनुमोदन प्राधिकार के अनुसार, ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। अनुमोदित उत्पाद नीतियों के अनुसार, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (रिटेल उत्पाद, शेयरों आदि की जमानत पर ऋण) के लिए उक्त नीति के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाती है।

पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार

बैंक, ऋण जोखिम को कम करने के लिए बासेल–II मार्गनिर्देशों के अनुसार पूंजी राहत प्रदान करने हेतु पात्र केवल विशिष्ट प्रकार की वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ही मान्यता प्रदान करता है। इसमें नकदी (बैंक के पास जमा), सोना (बुलियन और आभूषण, 99.99% शुद्धता के बेंचमार्क वाले संपार्श्वीकृत आभूषणों के अध्यधीन), केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बीमा क्षेत्र के नियामक द्वारा नियमित किसी बीमा कंपनी द्वारा घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित जारी जीवन बीमा पॉलिसियां, किसी मान्यता प्राप्त ऋण मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा मूल्यांकित कुछेक ऋण प्रतिभूतियां, ऐसी म्युचुअल फंड इकाइयां, जहां दैनिक निवल आस्ति मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है और म्युचुअल फंड ऊपर सूचीबद्ध प्रपत्रों में निवेश करने के लिए सीमित है तथा कुछेक विशिष्ट संस्थाओं से गारंटियां शामिल हैं। वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक, जोखिम को कम करने के लिए, अलग–अलग प्रतिपक्षों से गारंटियां जैसे सरकार, कारपोरेट और व्यक्तियों से गारंटी भी स्वीकार करता है।

बैंक गैर–वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति अर्थात् स्टॉक, बही ऋण, आवासीय

Collateral valuation and management:

As stipulated by the RBI guidelines, the Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, the Bank reduces its credit exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible financial collateral as specified in the Basel II guidelines. In line with Basel II guidelines, the Bank adjusts the value of any collateral received to adjust for possible future fluctuations in the value of the collateral in line with the requirements specified by RBI guidelines. These adjustments, also referred to as 'haircuts', to produce volatility-adjusted amounts for collateral, are reduced from the exposure to compute the capital charge based on the applicable risk weights.

For retail products, the security to be taken is defined in the product policy for the respective products. Housing loans and other retail loans are secured by the security of the property/ asset being financed. The valuation of the properties is carried out by an approved valuation agency. The Bank also offers products, which are primarily based on collateral such as shares, specified securities, warehoused commodities and gold jewellery. These products are offered in line with the approved product notes, which also deal with types of collateral, valuation and margining.

The Bank extends unsecured facilities to high rated clients and for certain products such as derivatives, personal loans etc. The limits structure with respect to unsecured facilities has been approved by the Board of Directors.

The decision on the type and quantum of collateral for each transaction is taken by the credit approving authority as per the credit approval authorisation approved by the Board of Directors. For facilities provided as per approved product policies (retail products, loan against shares etc.), collateral is taken in line with the policy.

Types of eligible financial collateral

The Bank recognizes only specified types of financial collateral to be eligible for providing capital relief in line with Basel II guidelines towards credit risk mitigation. This includes cash (deposited with the Bank), gold (including bullion and jewellery, subject to collateralized jewellery being benchmarked to 99.99% purity), securities issued by Central and State Governments, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificates, life insurance policies with a declared surrender value issued by an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator, certain debt securities rated by a recognized credit rating agency, mutual fund units where daily Net Asset Value (NAV) is available in public domain and the mutual fund is limited to investing in the instruments listed above and guarantees from certain specified entities. In addition to the financial collateral bank also accepts guarantee from different counterparties to mitigate the risk like guarantee from Government, Corporate and Individuals.

Bank also accepts non-financial collateral i.e. Stock, book debts,

संपत्ति और वाणिज्यिक संपत्ति और संयंत्र और मशीनरी का बंधक भी स्वीकार करता है।

जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार अथवा साख) के बारे में जोखिम कम करने संबंधी सूचना

पात्र वित्तीय संपार्श्विक व समंजन राशि द्वारा कवरप्राप्त कुल एक्सपोज़र		प्रयुक्त पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक की राशि	प्रयुक्त समंजन राशि
निधि –आधारित	84183.94	3348.54	3469.72
गैर–निधि आधारित	21490.92	3687.00	--
कुल	**105674.86**	**7035.54**	**3469.72**

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

ऋण संकेन्द्रण जोखिम विभिन्न श्रेणियों अर्थात् उद्योग, उत्पादों, भौगोलिक, अंतर्निहित संपार्श्विक प्रकृति, एकलसमूह उधारकर्ता को एक्सपोजर आदि के अंतर्गत ऋणों के संकेन्द्रिकरण के कारण होता है। कारपोरेट पोर्टफोलियो के अंतर्गत विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, जिसका उद्देश्य बेहतर जोखिम प्रबंधन और जोखिमों के संकेन्द्रीकरण से बचना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले बैंक के अधिकतम एक्सपोजर पर नियामक सीमाएं निर्धारित की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत, दीर्घअवधि के एक्सपोजर से होने वाले संकेन्द्रण जोखिम को सीमित करने के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा उधारकर्ता ग्रुप को दिए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर के लिए निर्धारित उपसीमाएं अनुमोदित कर दी हैं। संकेन्द्रण जोखिम से निपटने के लिए ऋण नीति में विभिन्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं। एकल उधारकर्ता, ग्रुप, उद्योग, ग्रुप को दीर्घावधि के एक्सपोजर के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

सामान्य

1. बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, उद्योग ऋण सीमाएं, ऋण जोखिम रेटिंग पद्धति, जोखिम आधारित मूल्यांकन तथा ऋण पुनरीक्षा तंत्र साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऋण जोखिम का आकलन विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों को दी गई खंडवार एक्सपोजर सीमाओं, विवेकपूर्ण एक्सपोजर तथा सार्थक एक्सपोजर की उच्चतम सीमाओं द्वारा किया जाता है और संपार्श्विक तथा गारंटियों की प्राप्ति द्वारा जोखिम को कम किया जाता है।
2. 100% सीबीएस से ऋण जोखिम की केन्द्रीय निगरानी में सहायता मिलती है।

   9% के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता 6813.78 करोड़ रु0 है।

7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

8. ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

8.1. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन नीतियां

ट्रेडिंग बही में बैंक के पास निवेश का एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो

mortgage of residential property & commercial property and plant and machinery.

Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

Total exposure covered by Eligible Financial Collateral & Set Off Amount		Amount of used Eligible financial Collateral	Amount of used set off
Fund Based	84183.94	3348.54	3469.72
Non-Fund Based	21490.92	3687.00	--
Total	**105674.86**	**7035.54**	**3469.72**

Credit concentration risk

Credit concentration risk arises mainly on account of concentration of exposures under various categories viz. industry, products, geography, underlying collateral nature, single/group borrower exposures etc. Within corporate portfolio, as a prudential measure aimed at better risk management and avoidance of concentration of risks, the RBI has prescribed regulatory limits on banks' maximum exposure to single borrowers and group borrowers. In order to restrict the concentration risk arising out of longer tenure exposure within the prudential limits set by RBI, the Board of Directors of the Bank has approved prescribed sub limits for the maximum exposure the Bank can have to a borrower group. Within the various limits are stipulated in the credit policy to address concentration risk. Limits have been stipulated on single borrower, group, industry, longer tenure exposure to a group.

General

1. Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing and loan review mechanisms are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit Risk is measured through dispersion of risk through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.
2. The CBS coverage of 100% provides comfort in central monitoring of credit risk.

The capital requirements for credit risk under standardised approach @ 9% is Rs.6813.78 crore.

7. SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH

Bank does not have any Securitisation Exposure.

8. MARKET RISK IN TRADING BOOK

8.1 Market risk management policy

Risk management policies

In trading book Bank holds HFT and AFS portfolio of Investment.

है। शेष आस्तियां अर्थात् एचटीएम के अंतर्गत निवेश और अग्रिमों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है।

नीतियां एवं प्रक्रियाएं

बाजार जोखिम प्रबंधन तरलता जोखिम के अंतर्गत ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी जोखिम मानिटर किए जाते हैं । बैंक इस समय जिंसों में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम को मानिटर करने के लिए पाक्षिक आधार पर अंतर विश्लेषण किया जाता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित विवेकपूर्ण सीमाएं मॉनिटर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार–दैनिक और औसत मांग ऋण – अंतर बैंक देयताएं, खरीदी गई निधियों आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं हैं। निवेश समिति द्वारा दैनिक आधार पर उच्च मूल्य की बल्क जमाराशियां मॉनिटर की जाती हैं । तरलता स्थिति का जायजा लेने के लिए अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें कारोबार वृद्धि पर भी विचार किया जाता है। आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधीयन योजना बनी हुई है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। तरलता संकट होने और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां लेने की स्थिति में बैंक को होने वाली संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रैस टेस्टिंग भी की जाती है।

बाजार दर जोखिम

अगले 12 माह तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। बैंक अवधि अंतराल विश्लेषण का भी प्रयोग करता है।

देयताओं की समयावधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो समयावधि विश्लेषण के आधार पर मॉनिटर किए जाते हैं।

एसएलआर तथा गैर एसएलआर (घरेलू) के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जोखिम मूल्य पद्धति (वीएआर) अपनाई गई है। वीएआर हेतु विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं तथा दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है और सर्वोच्च प्रबंध वर्ग को रिर्पोटिंग की जाती है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन करने के लिए बाजार दर में 200 आधार प्वाइंट का परिवर्तन करके तनाव परीक्षण (स्ट्रैस टेस्टिंग) किया जाता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट और ओवरनाइट एक्सपोजर निर्धारित किए हैं। इसके साथ, डीलरों के फोरेक्स परिचालनों की मॉनिटरिंग के लिए हानि रोध सीमा, लाभ लेने की सीमा और एकल सौदा सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

ईक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश योजना ने ईक्विटी डीलरों के लिए हानि रोध सीमा निश्चित की है। लेन–देनों तथा लाभ के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन :

जोखिम प्रबंधन मंडल द्वारा किया गया कार्य है जो तीन स्तरों द्वारा समर्थित है–

(i) मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति जो पर्यवेक्षण करती है और जहां

The rest of Assets i.e. Investment under HTM and Advances are treated as banking book.

Strategies and processes

Under Market Risk Management Liquidity risk, Interest rate risk , Foreign exchange risk and equity risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring liquidity risk on fortnightly basis. jPrudential limit based on RBI guidelines for the short- term buckets are monitored. Besides prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc. High value bulk deposits are monitored on daily basis by the investment committee. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.

Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non SLR (domestic). Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate upto 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limit, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Equity Price Risk.

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

Structure and Organisation of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-

(i) Risk Management Committee of the Board for overseeing

आवश्यक हो, निर्देश जारी करती है /जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि का अनुमोदन करती है।

(ii) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जो नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है और

(iii) जोखिम प्रबंधन कक्ष, जो आधारभूत स्तर पर सहायता प्रदान करता है।

जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा आकलन पद्धति का क्षेत्र तथा स्वरूप

घरेलू कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जैसे – साप्ताहिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करना – ट्रेडिंग बुक में दैनिक आधार पर समयावधि विश्लेषण – ट्रेडिंग बुक निवेश का दैनिक आधार पर जोखिम मूल्य परिकलन– ईक्विटी पोर्टफोलियो को छोड़कर, तरलता जोखिम /बाजार जोखिम का तिमाही आधार पर स्ट्रैस टेस्टिंग, घरेलू तुलनपत्र तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का तिमाही आधार पर समयावधि विश्लेषण किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता की कारपोरेट स्तर पर आल्को द्वारा नियमित अंतरालों में पुनरीक्षा की जाती है। तरलता जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कारपोरेट स्तर पर विभिन्न विवेकपूर्ण प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं। संरचनात्मक तरलता विवरणी साप्ताहिक आधार पर तैयार की जाती है और अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है और आल्को को रिपोर्ट की जाती है। स्ट्रैस टेस्टिंग तथा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव पर किए गए तिमाही अध्ययन के परिणाम आल्को को रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रेडिंग बुक स्थिति – अवधि तथा जोखिम मूल्य के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन सूचित किया जाता है।

बचाव व्यवस्था और / अथवा जोखिम कम करने हेतु नीतियां

निवेश प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियां लागू हैं, जिसमें बाजार जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।

8.2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

निम्न के लिए पूंजी अपेक्षाएं	राशि करोड़ रु० में
● ब्याज दर जोखिम	200.88
● ईक्विटी स्थिति जोखिम और	149.03
● विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	4.50
बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी	**354.41**

9. परिचालन जोखिम

क. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है और समानांतर प्रवृत्ति के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी प्रावधान कर रहा है

ख. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं जिनमें बैंक को परिचालन जोखिम में डालने वाली घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

ग. बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के

and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies etc.,

(ii) Asset Liability Management Committee (ALCO) who consider policy issues and

(iii) Risk Management Cell providing support at the ground level.

Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

In respect of domestic business the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as – Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a weekly basis – Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis – VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio – conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. – Duration analysis of domestic balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a quarterly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed at regular internals by ALCO at the corporate level Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on weekly basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to ALCO. The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position – Duration and VaR is reported daily to Top Management.

Policies for hedging and / or mitigating risk

Detailed policies are operational for Investment management, Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

8.2 Quantitative disclosures

The capital requirements for:	Amount in Rs cr.
● interest rate risk:	200.88
● equity position risk: and	149.03
● foreign exchange risk:	4.50
Total Capital for market risk	**354.41**

9. OPERATIONAL RISK

a. The Bank is following Basic Indicator Approach and providing for requisite capital under parallel run as per RBI guidelines.

b. The Operational Risk Management Committee meets at regular intervals wherein the incidents exposing the Bank to Operational risk are deliberated at length and suitable steps are initiated to check recurrence of such events.

c. The Bank is also deliberating on Risk Profiling Templates

दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट पर भी विचार करता है।

घ. बैंक ने मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाने के साथ–साथ पिछले चार वर्षों की हानि घटनाओं का डाटा भी एकत्रित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डाटा आठ व्यापारिक क्रियाकलापों में जुटाया जा रहा है। इसके अलावा, परिचालन जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी की संगणना के लिए विभिन्न कारोबारी क्रियाकलापों के अंतर्गत आय रिकार्ड करने के संबंध में सीबीएस पद्धति के जरिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

ङ बैंक भारतीय बैंक संघ, जो हानि डाटा एकत्रित करने तथा परिचालन जोखिम का जायजा लेने और पूंजी प्रभार की संगणना के लिए मॉडल तैयार करने हेतु एक प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है, के "ऋण एवं परिचालन जोखिम घाटा डाटा विनिमय (CORDEX)" उद्यम में पहले से ही मिलकर काम कर रहा है।

9.2. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक विभिन्न कारोबारी गतिविधियों के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में अंतर्निहित परिचालन जोखिमों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है और उनकी पहचान करता है। सभी नए उत्पाद, क्रियाकलाप तथा पद्धतियां, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)/परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के माध्यम से दिए जाते हैं।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति को धोखाधड़ी तथा उससे संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग की जाती है। मूल संकेतक दृष्टिकोण के माध्यम से परिचालन जोखिम का परिमाण लगाया जाता है। बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन में ड्यूटियों को पृथक् करना, प्रशिक्षण, स्पष्ट निर्धारित प्रक्रियाओं आदि सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाता है।

10. बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

10.1. गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें आई.आर.आर.बी.बी. की प्रवृति और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, में ऋणों की पूर्वअदायगी से संबंधित अवधारणाएं और गैर–परिपक्व जमाराशियों की प्रवृति तथा आई.आर.आर.बी. बी. उपायों की बारम्बारता निहित है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की संगणना तिमाही आधार पर की जाती है। बैंकिंग बही में सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो में रखे गए निवेश शामिल हैं। रणनीतियां तथा प्रक्रियाएं/संरचना तथा संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग का क्षेत्र तथा प्रकृति/नीतियां आदि वहीं हैं जो मद संख्या 8.1 में दर्शाई गई हैं।

आईआरआरबीबी मापन में कार्यविधि तथा प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार है :

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विधि पर आधारित
- अग्रिमों एवं जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में नेटवर्क से जुड़ी शाखाओं, जो बैंक का 100% कारोबार कर रही हैं, से प्राप्त तिमाही सूचना के आधार पर विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की दर संवेदनशीलता तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में विभिन्न समय–श्रेणियों में ब्याज दर संवेदनशील विवरणी तैयार की जाती है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक समयावधि के मध्य बिन्दु

required in terms of RBI guidelines in the Operational Risk Management Committee.

d. Besides adopting Basic Indicator Approach, Bank has collected data pertaining to loss events for past four years and data is being mapped into eight business lines as per RBI guidelines. Further, the exercise with regard to recording income under various business lines for calculation of capital required for Operational Risk has been initiated through CBS system.

e. The Bank is already collaborating with IBA in a venture "Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX)" as one of the promoters for collecting loss data and framing models for measuring operational risk and formulating models for computing capital charge.

9.2 Qualitative disclosures

The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Lines of Business on ongoing basis. All new products, activities and systems are being routed through Credit Risk Management Committee (CRMC) / Operational Risk Management Committee (ORMC).

Fraud and related reporting is done to Audit Committee of Board. Operational Risk is quantified through Basic Indicator Approach. Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

10. INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

10.1 Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement:

Interest Rate Risk in banking book is calculated on quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies & processes/ structure & organization/ scope and nature of risk reporting/ policies etc are the same as reported under point – 8.1

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

- Based on method suggested by RBI
- Based on Weekly information from networked branches on the residual maturity of the advances and the deposits covering 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking

को परिपक्वता तारीख के रूप में लेकर और औसत आय के कूपन के रूप में तथा भुनाई के उद्देश्य से मार्किट दर लेकर निकाली जाती है। निवेशों के लिए वास्तविक समयावधि ली जाती है क्योंकि डाटा पूरे विवरण के साथ उपलब्ध रहता है।

- उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक समयावधि के लिए देयताओं एवं आस्तियों की संशोधित अवधि निकाली जाती है और ब्याज दर में 1% के परिवर्तन से मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जोड़कर निकाला जाता है जिससे कि निवल स्थिति पता चलती है कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि होगी अथवा अन्यथा होगी।

10.2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी का आकलन करने के लिए प्रबंध वर्ग के तरीके के अनुसार ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के जोखिमों के लिए आय तथा आर्थिक मूल्य (प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त सापेक्ष उपाय) में वृद्धि (कमी)।

बैंकिंग बही में ब्याज दर

		कुल (करोड़ रु० में)
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)	1 वर्ष के लिए 0.50% पर	**122.52**
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बेसिस प्वाइंट शॉक	**1387.80**
ईक्विटी मूल्य में प्रतिशत कमी		**19.02%**

the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars.

- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned by adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

10.2 Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB,

INTEREST RATE IN BANKING BOOK

		Total (Rs in Cr)
1. Impact on Earnings (NII)	At 0.50% for 1 year	**122.52**
2. Economic Value of Equity at Risk	200 basis point shock	**1387.80**
Drop in equity value in percentage terms		**19.02%**